छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 748/2007

1. **श्री केदारनाथ अग्रवाल,** - *अपीलार्थी*
मेसर्स तुलसी एर्जेसी, तुलसी निवास,
ट्रान्सपोर्ट नगर, कोरबा
जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय कलेक्टर,
जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 15 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री केदारनाथ अग्रवाल ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कोरबा के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 30.03.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन उन्हें जानकारी अपूर्ण प्राप्त होना बताकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा के समक्ष दिनांक 11.06.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उस पर भी उन्हें संतोषप्रद निराकरण नही होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 30.07.2007 को आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर, कोरबा को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 28.12.2007 को प्रस्तुत किया गया और उस पर भी उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा अपर कलेक्टर, कोरबा से जानकारी माँगी गई थी, जो उनके द्वारा दी गई थी और वहीं जानकारी दिनांक 29.5.2007 को अपीलार्थी को दे दी गई थी, किन्तु अपीलार्थी ने यह बताया कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.01.2007 के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक- 25 अ-21/2006-07 में श्री महादेवा लाल को भी अनुमति दी गई है, किन्तु उस प्रकरण को जानकारी में शामिल नही किया गया है, अत: इस तरह यह जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है । अपर कलेक्टर ने उनके न्यायालयीन प्रकरण में दिनांक 23.07.207 को अपीलार्थी द्वारा अपील में बल नही देने का कथन करना बताया, क्योंकि वांछित जानकारी उसके पास

उपलब्ध है तथा यह भी उल्लेख है कि उसमें अपीलार्थी श्री केदारनाथ के हस्ताक्षर भी किये गये हैं बाद में अपीलार्थी श्री केदारनाथ ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि झूठा बचाव करने के लिए आदेश पत्रिका में मिथ्या इंद्राज कर कुटरचना की गई है और मैंने अपील में बल नही होने की बात कभी नही कहीं थी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा पढ़कर ही आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर करना चाहिए था और आदेश पत्रिका की मार्जिन में उसी के हस्ताक्षर है, अतः यह शपथ पत्र विश्वास योग्य प्रतीत नही होता है, फिर भी शपथ पत्र और संबंधित प्रथम अपील का प्रकरण जिसमें आदेश पत्रिका रखी हुई है, वह कलेक्टर, कोरबा को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि इस संबंध में विस्तृत जांच करा ले और अपर कलेक्टर की गलती पाई जाती है तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे और यदि शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो अपीलार्थी के विरूद्ध झूठा शपथ पत्र देने के संबंध में विधिवत कार्यवाही की जावे । प्रकरण में जहॉं तक कारण बताओ सूचना पत्र देने का संबंध है, अपर कलेक्टर, कोरबा की हैसियत से अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के बारे में इसका कोई उत्तर अपर कलेक्टर ने अपने उत्तर में नही दिया है । श्री महादेवा लाल के आदेश की प्रति से तथा पूर्व में दी गई जानकारी और बाद में दिनांक 15.11.2007 को दी गई जानकारी से ही स्पष्ट है कि पूर्व में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई थी । अतः इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद नही होने के कारण श्री सुधाकर खलखो तत्कालीन अपर कलेक्टर, कोरबा वर्तमान अपर कलेक्टर, कोरबा पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 2500/- रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अपीलार्थी को अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त